

भारत में भगदड़: करूर और बेंगलुरु त्रासदियों से सबक

यूपीएससी प्रासंगिकता:

- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 1: समाज, भीड़ मनोविज्ञान, आपदा भेद्यता
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 2: शासन, कानून और व्यवस्था, लोक प्रशासन
- सामान्य अध्ययन प्रश्नपत्र 3: बुनियादी ढाँचा, आपदा प्रबंधन, शहरी नियोजना



संदर्भ

बड़ी सभाओं के दौरान भगदड़ भारत में एक आवर्ती चुनौती बन गई है, जो भीड़ प्रबंधन, नेतृत्व की जवाबदेही और सार्वजनिक सुरक्षा बुनियादी ढाँचे में कमियों को दर्शाती है। करूर भगदड़ (तमिलनाडु, 27 सितंबर, 2025) अभिनेता-राजनेता विजय के एक रोड शो के दौरान हुई, जिसमें 41 लोग मारे गए। इसी प्रकार, मकर संक्रांति समारोह के दौरान एक मंदिर में बेंगलुरु भगदड़ (जनवरी 2023) में 8 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हो गए, जिससे धार्मिक और राजनीतिक आयोजनों के दौरान लगातार बने रहने वाले जोखिमों पर प्रकाश डाला गया।

भारत में हाल की भगदड़ की घटनाएँ

- सबरीमाला, केरल (2011): तीर्थयात्रियों की भीड़ के दौरान 106 मौतें
- प्रयागराज कुंभ (2013): भीड़भाड़ के कारण 36 मौतें
- बेंगलुरु, कर्नाटक (2023): एक मंदिर उत्सव में 8 मौतें
- करूर, तमिलनाडु (2025): एक राजनीतिक रोड शो के दौरान 41 मौतें

 @resultmitra



www.resultmitra.com



9235313184, 9235440806

भगदड़ के कारण

भीड़ और खराब योजना

- करूर रोड शो में 10,000 लोगों के लिए अनुमति थी, लेकिन 25,000-27,000 लोग शामिल हुए।
- बेंगलुरु भगदड़ में संकरे मंदिर प्रवेश द्वारों पर अनियंत्रित भीड़ उमड़ पड़ी।

नेतृत्व और जवाबदेही का अभाव

- करूर: अभिनेता विजय देर से पहुँचे और अचानक चले गए; कार्यक्रम आयोजक भीड़ को नियंत्रित करने में विफल रहे।
- बेंगलुरु: मंदिर प्रबंधन और स्थानीय अधिकारियों ने भीड़ के घनत्व को कम करके आंका।

अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा और स्थल चयन

- सड़क किनारे रैलियाँ या संकरे उत्सव मार्ग भारी भीड़ को समायोजित करने में असमर्थ।

सार्वजनिक दहशत और उन्माद

- अति उत्साही अनुयायी या भक्त अचानक अनियंत्रित आवाजाही पैदा करते हैं।

खराब संचार और आपातकालीन प्रतिक्रिया

- स्पष्ट निर्देशों, आपातकालीन संकेतों और चिकित्सा सहायता का अभाव अराजकता को और बढ़ा देता है।
- देरी से हस्तक्षेप अक्सर मौतों और चोटों का कारण बनता है।

सांस्कृतिक और सामाजिक कारक

- मशहूर हरितियों, धार्मिक हरितियों या विशेष आयोजनों के प्रति अति-उत्साह भीड़भाड़ को बढ़ावा देता है।
- बड़ी भीड़ के दौरान व्यक्तिगत सुरक्षा के बारे में जागरूकता की कमी।

मौसम और पर्यावरणीय परिस्थितियाँ

- अत्यधिक गर्मी, बारिश या फिसलन वाली सतहें घबराहट और भगदड़ के खतरे को बढ़ा सकती हैं।

भगदड़ के प्रभाव

1. मानवीय और सामाजिक प्रभाव

- मृत्यु: करूर में 41, बेंगलुरु में 8; दर्जनों घायल।
- मनोवैज्ञानिक आघात: बचे लोगों को दीर्घकालिक मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

2. आर्थिक और प्रशासनिक प्रभाव

- आपातकालीन सेवाओं पर अत्यधिक दबाव।
- स्थानीय प्रशासन को जाँच का सामना करना पड़ता है और जनता का विश्वास कम होता है।

3. शासन संबंधी निहितार्थ

- आपदा तैयारियों, आयोजन अनुमोदन प्रक्रियाओं और भीड़ नियंत्रण प्रोटोकॉल में कमियों को उजागर करता है।

कानूनी ढाँचा

- आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 - तैयारी और आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए दिशानिर्देश।
- आईपीसी प्रावधान - धारा 304 (सदोषपूर्ण हत्या), 336-338 (जीवन को खतरे में डालने वाली लापरवाही)।
- राज्य सुरक्षा विनियम - आयोजन-विशिष्ट भीड़ प्रबंधन नियम; प्रवर्तन अक्सर असंगत।



समाधान / आगे की राह

कार्यक्रम नियोजन और स्थल प्रबंधन

- स्थल क्षमता के आधार पर उपस्थिति सीमित करें।
- भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों के बाहर के स्थलों को प्राथमिकता दें।

नेतृत्व और जवाबदेही

- कार्यक्रम आयोजकों को वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी करनी चाहिए।
- सार्वजनिक हस्तियों को आयोजन स्थल पर मौजूद रहना चाहिए और सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।

प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढाँचा

- सीसीटीवी, ड्रोन और भीड़ घनत्व की निगरानी।
- चौड़े रास्ते, कई निकास, बैरिकेड और आयोजन स्थल पर चिकित्सा सुविधाएँ।

कानूनी और प्रशासनिक उपाय

- अनुमतियों और सुरक्षा मानदंडों का कड़ाई से प्रवर्तन।
- आपदा प्रतिक्रिया में पुलिस और कार्यक्रम कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण।

जन जागरूकता और प्रशिक्षण

- आगंतुकों को आपातकालीन निकास और सुरक्षित आचरण के बारे में शिक्षित करने के लिए अभियान।
- बड़ी सभाओं के लिए अभ्यास आयोजित करना।

निष्कर्ष

करूर और बेंगलुरु की भगदड़ की घटनाएँ भीड़भाड़, खराब योजना और नेतृत्व की विफलता के घातक संयोजन को रेखांकित करती हैं। हालाँकि सामूहिक समारोह अपरिहार्य हैं, लेकिन प्रभावी शासन, नैतिक नेतृत्व, तकनीकी हस्तक्षेप और जन जागरूकता के माध्यम से त्रासदियों को कम किया जा सकता है। भीड़ की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक नैतिक, प्रशासनिक और सामाजिक अनिवार्यता है, जो अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए राज्य की ज़िम्मेदारी को दर्शाता है।



प्रारंभिक परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में भगदड़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भगदड़ के प्रमुख कारणों में भीड़भाड़, खराब योजना और अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा शामिल हैं।
2. नेतृत्व की जवाबदेही और कार्यक्रम आयोजकों की उपस्थिति सामूहिक समारोहों के दौरान भीड़ की सुरक्षा पर बहुत कम प्रभाव डालती है।
3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, प्रासंगिक आईपीसी प्रावधानों के साथ, भीड़-संबंधी आपात स्थितियों के प्रबंधन के लिए एक कानूनी ढाँचा प्रदान करता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

- a) केवल 1 और 2
- b) केवल 1 और 3
- c) केवल 2 और 3
- d) 1, 2 और 3

उत्तर: b) केवल 1 और 3

मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: "भारत में भगदड़ भीड़ प्रबंधन, नेतृत्व और जन सुरक्षा में कमियों को उजागर करती है। करूर (2025) और बेंगलुरु (2023) जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, उनके कारणों, प्रभावों, कानूनी ढाँचे का विश्लेषण करें और निवारक उपाय सुझाएँ।"

250 शब्द

(वैकल्पिक विषय)
OPTIONAL SUBJECT
GEOGRAPHY
OPTIONAL
Fee - मात्र 6499 ₹
केवल 21 से 26 जून

OPTIONAL SUBJECT
वैकल्पिक विषय
PSIR
Fee - मात्र 6999 ₹
केवल 01 से 06 जुलाई